

पत्र क्रमांक 61-4622/सू0अ0/2015/133990

दिनांक 16.04.2015

प्रति,

श्री अजय अमर चौरसिया
एडवोकेट
वार्ड नम्बर-2, मेनरोड,
शा. महाविद्यालय के आगे
महाराजपुर,
छतरपुर-471501, म.प्र.

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत चाही गयी जानकारी बावत्।

संदर्भ:-सूचना का अधिकार के अंतर्गत आपका पत्र दिनांक 01.04.2015


महोदय,


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन के साथ 10/-का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प (क्र.-62AA 273798) संलग्न किया गया है, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अमान्य है। अतः जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती। (मूल पत्र संलग्न है।)

आवेदक को अवगत कराया जाता है, कि सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन), नियम, 2005 और सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) संशोधन नियम 2006 के अनुसार फीस समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में 10/-रुपये (कार्यालय के लेखा विभाग में स्वयं) या मॉग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में देय होगी। आवेदक द्वारा इन नियमों के अनुसार फीस भेजने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न:-पत्र दिनांक 01.04.2015

Deposited of Rs. 10/-
R No. 16627 dt. 19/08/2015
Dr. ay / PR


19/08/2015



(परविंदर सिंह)
जनसूचना अधिकारी